न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज फर्रूखाबाद

वाद स०१२८१/१६

०१/१०/१६

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत हैं। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी पर सुना गया ।

सक्षेप मे परिवादी द्वारा परिवाद पत्र मे कथन किया है कि परिवादी से आज से करीब एक वर्ष पूर्व सोनेलाल ने एक हजार रूपये उधार लिये थे परिवादी ने उक्त रूपया की मांग दिनांक २०/०६/१६ को सोनेलाल से कहा कि रूपया मेरे पास देने को नही हैं। परिवादी ने कहा कि मैने अपनी पत्नी की पायल गिरवी रखकर रूपया दिया था रूपया दे नही तो मै गांव मे पंचातय डालूगा। सेनेलाल मां बहन की गालिया देने लगा और देख लेने की धमकी देकर चले गयें। कुछ समय उपरान्त सोनेलाल लाठी लेकर सतीश व राजेश तमंचा लेकर तथा नीरज व रामकुअर डंडा लेकर दरवाजे पर गालिया देते हुये घर मे घुसकर लात घुसो से मारा पीटा शोर गुल पर देव सिंह राम किशोर आदि लोग आ गये जिन्होने वचाया। मार पीट के समय रामकुअर ने परिवादी की जेंब से ३००रूपये चोरी से निकाल लिये।अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की ।

परिवादिनी के वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स० व साक्षीगण पी०डब्लू०१ अललाह रख्खा , पी०डब्लू२ राम किशोर के वयान अर्न्तगत धारा२०२ द०प्र०स० लिखे गये ।

परिवादी ने अपने कथन मे पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति व डाक रशीद दाखिल किया ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादी ने अपने वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स मे कथन कि परिवादी से आज से करीब एक वर्ष पूर्व सोनेलाल ने एक हजार रूपये उधार लिये थे परिवादी ने उक्त रूपया की मांग दिनांक २०/०६/१६ को सोनेलाल से कहा कि रूपया मेरे पास देने को नही हैं। परिवादी ने कहा कि मैने अपनी पत्नी की पायल गिरवी रखकर रूपया दिया था रूपया दे नही तो मै गांव मे पंचातय डालूगा। सेनेलाल मां बहन की गालिया देने लगा और देख लेने की धमकी देकर चले गयें। कुछ समय उपरान्त सोनेलाल लाठी लेकर सतीश व राजेश तमंचा लेकर तथा नीरज व रामकुअर डंडा लेकर दरवाजे पर गालिया देते हुये घर मे घुसकर लात घुसो से मारा पीटा शोर गुल पर देव सिंह राम किशोर आदि लोग आ गये जिन्होने वचाया। मार पीट के समय रामकुअर ने परिवादी की जेंब से ३००रूपये चोरी से निकाल लिये। शोर पर मोहल्ले वाले अल्लाह रख्खा,देव सिंह आ गये जिन्होने वचाया।

साक्षीगण पी०डब्लू०१ पी०डब्लू०२ ने अपने वयानो मे परिवाद का समर्थन किया हैं।

पत्राबली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण सोनेलाल,सतीश,राजेश,रामकुअंरी,नीरज उर्फ नन्ही को धारा ३२३,५०४,५०६,३७९,४०६,४५२भा० द० स० के अर्न्तगत परिभाषित अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता हैं। अतः अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्तगण सोनेलाल,सतीश,राजेश,रामकुअंरी,नीरज उर्फ नन्ही को धारा ३२३,५०४,५०६,३७९, ४०६,४५२भा० द० स० भा० द० स० के अर्न्तगत जरिये समन दिनांक १६/१०/१६ के लिये तलब किया जाता हैं। परिवादी गवाहान लिस्ट दाखिल कर आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन में करे ।

जे० एम० कायमगंज